संख्या-I/1396059/6-2026-861-57-1099-86-2023

प्रेषक,

राजमन सरोज,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य विभाग **लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2026**

विषयः- जनपद मीरजापुर के त्रिकोण परिक्रमा पथ का विकास एवं मां विन्ध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर तथा मां कालीखोह मंदिर का उनकी महिमा के अनुरूप सौन्दर्यीकरण कराये जाने से सम्बन्धित प्रथम चरण/घटक-''ख-2'' के अन्तर्गत मात्र मां कालीखोह मंदिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-926/ध0का0वि0नि0/मीर0/2025-26, दिनांक 31.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मीरजापुर के त्रिकोण परिक्रमा पथ का विकास एवं मां विन्ध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर तथा मां कालीखोह मंदिर का उनकी महिमा के अनुरूप सौन्दर्यीकरण कराये जाने से सम्बन्धित प्रथम चरण/घटक-''ख-2'' के अन्तर्गत मात्र मां कालीखोह मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि रू0 4983.10 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 1518.23 लाख धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मीरजापुर के त्रिकोण परिक्रमा पथ का विकास एवं मॉ विन्ध्यवासिनी मंदिर, मॉ अष्टभुजा मंदिर का उनकी महिमा के अनुरूप सौन्दर्यीकरण कराये जाने से सम्बन्धित प्रथम चरण/घटक-''ख-2'' के अन्तर्गत मात्र मां कालीखोह मंदिर के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित लागत 4983.10 लाख के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित एवं व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 4337.79 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 1518.23 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ अट्ठारह लाख तेईस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

(1) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/ कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की परीक्षण आख्या/शर्तें संलग्न है।

(9) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/ कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्यमद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्यमद में किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का आनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।

(12) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021- 10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव में स्पिलिट ए०सी०, सी०सी०टी०वी०, डी०जी० सेट, लिफ्ट, वाटर कूलर, यू०पी०एस०, फसाड लाइट आदि की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

(17) प्रायोजनान्तर्गत ध्वस्तीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्रभाग का मत है कि ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0-158/2023/993/23-5-23-50 (40) ईजी०/08, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(18) प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए प्रायोजना की लागत का आंकलन किया गया है। प्रायोजना का निर्माण किये जाने के पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजना की वास्तविक ड्राइंग व डिजाइन के आधार पर प्रायोजना का विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी है।

(19) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(20) **निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मुख्य मन्दिर की मौलिक संरचना में किसी प्रकार परिवर्तन (छेडछाड) नहीं किया जायेगा।**

(21) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, लखनऊ/वाराणसी से किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,18,23,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ अठारह लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 084 लेखा शीर्षक 4250008001000 जनपद मीरजापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, मॉ विन्ध्यवासिनी मंदिर, मॉ अष्टभुजा मंदिर, मॉ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किया जाना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **अशासकीय संख्या- E-5-31-X-2026-27-दिनांक:13-7-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजमन सरोज)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी, लखनऊ/वाराणसी/मीरजापुर।

4- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर परिक्षेत्र, मीरजापुर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ/मीरजापुर।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।

8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजमन सरोज)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।